UBN No. DEL[illegible] नगर निगम कोटा उत्तर

राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना (जगतपुरा), जयपुर के सेक्टर-07 के जी.एच.-3 एवं जी.एच.-4 में "मुख्यमंत्री जन आवास योजना" विशिष्ठ पंजीकरण योजना-2020 के तहत् आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के पंजीकृत आवेदकों तथा निवाई आवासीय योजना (जिला टोंक) में पंजीकरण योजना वर्ष 2016 (प्रथम चरण) के अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग "अ" के शेष पंजीकृत आवेदकों एवं पंजीकरण योजना वर्ष-2020 (द्वितीय चरण) के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग "अ" के पंजीकृत आवेदकों को फ्लैट/आवास आवंटन हेतु लॉटरी वेब बेस्ड कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा दिनांक 24.08.2022 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका आवंटन लॉटरी कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

विवरण	दिनांक एवं समय	संबंधित स्थान
योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	08.08.2022 सायं 05.00 बजे	वृत-तृतीय, कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं मण्डल की वेबसाइट पर
अयोग्य आवेदकों (यदि कोई हो) से आक्षेप प्राप्त करना	12.08.2022 सायं 06.00 बजे तक	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत-तृतीय, रा.आ.मं., जयपुर एवं कार्यालय परियोजना अभियंता (वरि.) टोंक
योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	22.08.2022 सायं 05.00 बजे	वृत-तृतीय, कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं मण्डल की वेबसाइट पर
आवंटन लॉटरी	24.08.2022 प्रातः 11.00 बजे	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत-तृतीय, रा.आ.मं., जयपुर

नोट:- 1. यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण लॉटरी कार्यक्रम से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। 2. लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भुगतान पद्धति परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। 3. सभी आवासीय योजनाओं के पंजीकृत आवेदकों द्वारा आक्षेप प्रस्तुत करने की तिथि तक पूर्वग्रहण राशि पत्रानुसार जमा कराई गई राशि के चालान की प्रति प्रस्तुत करने के उपरान्त ही लॉटरी में शामिल किये जावेंगे। आवश्यक सूचना प्रकाशित होने के पश्चात आवेदक आक्षेप प्रस्तुत करने की तिथि तक भी पूर्व ग्रहण राशि जमा का चालान कार्यालय में प्रस्तुत कर देता है तो उसे लॉटरी में शामिल कर लिया जायेगा। जमा राशि के चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यदि आवेदक लॉटरी से वंचित रहता है तो मण्डल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं भविष्य में इस संबंध में कोई आक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। 4. आवास आवंटन हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर भी उपलब्ध रहेगी। 5. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

उप आवासन आयुक्त, वृत-तृतीय, जयपुर

राज.संवाद/सी/5740/2022-23